



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर

E-mail : pd-mmjrk-rj@nic.in, co_mmjrk.nrhm@yahoo.in Tel. No. 0141-5110731

एफ29(73)एनएचएम/एमएमजेआरके/बीपीएल काउण्टर स्टाफ/17/604 दिनांक 11-09-2017


आदेश

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् राज्य में तीन नवीन योजनाएँ (यथा-मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना) प्रारंभ हो जाने के कारण वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आईडी क्रमांक 101700633, दिनांक 03.03.2017 के द्वारा मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत कार्यरत समस्त संविदाकर्मियों के पदों को समाप्त कर दिया गया है।

योजना के तहत कार्यरत संविदाकर्मियों की सेवाएँ समाप्त किये जाने के फलस्वरूप संविदाकर्मियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में विभिन्न याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिन पर माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। माननीय न्यायालयों द्वारा पारित किये गये आदेशों की पालना में संविदाकर्मियों को पुनः कार्य ग्रहण करवाया जा रहा है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के स्थगन आदेशों की पालना में कार्यग्रहण करने वाले ऐसे संविदाकर्मियों से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के वर्तमान में रिक्त लेखाकार कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व फार्मासिस्ट तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों में आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाकर कार्य लिया जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

7. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
8. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, राजस्थान।
10. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति संबंधित जिलों के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारियों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रभारी सर्वर रूम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये।

32

शासन संयुक्त सचिव
एन.एच.एम.